पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

मांडवा

ग्राम पंचायत - मांडवा

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - मांडवा करीब 500 वर्ष पुराना गांव है। गांव के लोग ऐसा बतलाते हैं कि गांव में पहले सागवान के पेड़ बहुत थे। सागवान की लकड़ी शहर के लोग मंडप बनाने के लिए लेकर जाते थे। मंडप बनाने के लिए लकड़ी ले जाने से गांव का नाम मांडवा पड़ गया। पहले गाँव राज दरबार के अधीन हुआ करता था और इसकी जमीन चक राजदानी में आती है इसलिए इस गांव को मांडवा चक के नाम से भी जाना जाता है।

गाँव का एक परिचय - मांडवा गाँव दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मांडवा का एक राजस्व गाँव है जो जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब आठ किलोमीटर दूर है। मांडवा गांव में लगभग 650 घर हैं और आबादी लगभग 3500 है। मांडवा में फलों की संख्या 10 है जो निम्नवत हैं -

1. मांडवा चक फला
2. खेरवा फला
3. सालड़ा फला
4. गमेती फला
5. आमलिया फला
6. बीचला घरा फला
7. उपला घरा फला
8. आम्बड़ा फला
9. डिमिया फला
10. भमरिया फला

गांव की सारी जमीन चक राजदानी के अंतर्गत होने के कारण गांव की एक इंच भी जमीन गांव वालों के नाम से दर्ज नहीं है। जमीन को अपने नाम कराने की लड़ाई वागड़ मजदूर किसान संगठन के साथ लड़ रहे हैं लेकिन सरकारी उपेक्षा के चलते उनके पुश्तैनी जमीन कब उनके हाथ से निकल जाएगी इसका भय उन्हें रात दिन लगा रहता है। गांव में शिलालेख 16 नवम्बर 2014 को हुआ था। गांव का कृषि जमीन 125 हेक्टेयर है, 110 हेक्टेयर बेनामी जमीन है, जंगल की जमीन 155 हेक्टेयर है। गाँव की फसल मक्का, उड़द, चावल, गेहूं, सरसों और चना है। गाँव की राशन की दुकान मांडवा में ही है। गांव में आदिवासियों की उप जातियां रोत, बारिया, कटारा, कलासुआ, हड़ात और खराड़ी हैं। अनुसूचित जाति में कनिपाव उपजाति के परिवार निवास करते हैं। अन्य समाज में राजपूत समाज के लोग रहते हैं। गाँव में बिजली की सुविधा करीब 450 घरों में ही है। गाँव में उप-स्वास्थ्य केंद्र, राशन दुकान ओर पोस्ट ऑफिस हैं। पुलिस थाना और कॉलेज डूंगरपुर में है। गांव में पांच मंदिर है एक रानी घाटी का मंदिर एक सांडेश्वर मंदिर और एक ब्राह्मणी माता जी का मंदिर और दो अन्य मंदिर है। गांव में पहाड़ है और उस पर नगर परिषद का स्वामित्व है तथा गांव में जंगल है और जंगल पर वन विभाग का कब्जा है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से मांडवा गांव में जाने के लिए जो ऑटो मिलते हैं वे पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 लोगों के बैठने की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को ठूंस-ठूंस कर

बिठाते हैं। सवारियों को ऑटो की छत पर बैठकर और खड़े-खड़े भी जाना पड़ता है। कई बार घन्टों इंतजार करने के बजाय लोग पैदल जाना ही पसंद करते हैं और करीब एक घंटे में मांडवा पहुंच जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - मांडवा गाँव में आंगनबाड़ी की संख्या 4 है। गाँव में 3 प्राथमिक स्कूल है रा.प्रा. विद्यालय सालेड़ा, रा.प्रा. विद्यालय खैरवा, रा.प्रा. विद्यालय रातीघाटी। उनमें करीबन कुल 253 बच्चे पढ़ते हैं ओर तीनों विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या 8 है। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है जिसमें 561 छात्र और 13 शिक्षक हैं। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी होने के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। स्कूल में कमरों की कमी है जो कमरे हैं उनकी छत से बरसात में पानी टपकता है खेल मैदान और परकोटे की भी कमी है। बच्चों को उनकी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है स्नातक के लिए 8 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। विद्यार्थी जाना आना ऑटो से करते हैं।

गाँव में ईलाज की व्यवस्था हेतु एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है लेकिन वहां टीकाकरण और प्रसव पूर्व सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए इलाज के लिए डूंगरपुर ही आते हैं। मरीजों के लिए कभी-कभी 108 सुविधा भी मिलती है अन्यथा उनको निजी साधन से अस्पताल जाना पड़ता है। गाँव का पशु चिकित्सालय मांडवा में है जो नया बना है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - मांडवा से डूंगरपुर आने-जाने के लिए ऑटो से जाया जा सकता है। लेकिन वह वाहन मालिक की मर्जी से लंबे इंतजार के बाद पूरी भरने पर चलती है। सामान्यतः घंटों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऑटो पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 सवारियों की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को ठूंस-ठूंस कर बिठाते हैं। बहुत बार घंटे भर इंतजार करने के बजाय लोग पैदल जाना ही पसंद करते हैं और करीब 1 घंटे में मांडवा पहुंच जाते हैं। गाँव में सारे रास्ते कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने और रोड नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव की भूमि चक राजदानी भूमि के अंतर्गत आती है और इस पर न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है। गांव के आसपास के कुछ ही जमीन खेती लायक है जिसमें मक्का, उड़द और धान तथा गेहूं की फसल बोते हैं। खेती से उनको साल में 2 से 3 महीने खाने भर का अनाज होता है बाकी महीने सरकारी राशन से मिलने वाले गेहूं और बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है। गांव में दो तालाब है एक घाटी तालाब और दूसरा दाता तालाब है। गांव के निकट से एक नदी निकल रही है जिसे मोरन नदी के नाम से जाना जाता है। गांव में करीब 50 हैंडपंप हैं लेकिन उनमें से चार

खराब/बंद है(जिनके मरम्मत की जरूरत है)। गांव में पीपल वाला एक कुआं है जिससे सब पानी भरते थे लेकिन वह भी लगातार गिरते भूजल स्तर से सूखने की स्थिति में है। एक नाड़ा वाला कुआं है जो सार्वजनिक है उसमें भी करीब 10 परिवार के लोग पानी भरते थे अब उसमें भी पानी कम हो गया है। खातरा में एक बावड़ी बनी हुई है जो राजा महाराजाओं द्वारा बनवाई गई है और उसमें कभी पानी खत्म नहीं होता है उससे भी 25 परिवार के लोग पानी भरते हैं। गाँव के 4 बड़े नाले निम्नवत हैं-

1. खजूर वाला नाला
2. कुड़ली वाला नाला
3. कभोही वाला नाला
4. धमनिया वाला नाला

कुओं में पानी फरवरी के बाद सूखने लगता है जिससे गेहूं की जो थोड़ी बहुत खेती होती है वह प्रभावित होती है। कुछ लोगों को भू अधिकार पत्र मिले भी हैं। गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। दिसम्बर बाद गाँव में लगभग सभी नाले सूख जाते है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से सिर पर ढो कर पैदल लाना पड़ता है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गांव में करीब करीब 200 बोरवेल हैं लेकिन गर्मियों में उनमें से कुछ में ही पानी रहता है। बाकी सब जलस्तर के अभाव में सूख जाते हैं। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। गांव के अधिकतर हैंडपंप और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी बोरवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का, सरसों, चना और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वह ही धान, गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज

की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छी नस्ल न होने और पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे शहरों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, बड़ौदा और

अहमदाबाद आदि में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव में करीब 30 लोग सरकारी नौकरी में हैं जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नदी - मोरन नदी तालाब - 2 एनिकट - 1 नाले - 3 कुआं - 25 बोरवेल - 200 हैंड पंप - 50	गाँव में दो तालाब है एक घाटी तालाब और दूसरा दाता तालाब गांव के निकट से एक नदी निकल रही है जिससे मोरन नदी के नाम से जाना जाता है। गाँव से तीन नाले निकलते है जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है। बरसात के बाद दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नालों में पानी रहता है। वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है। गाँव में एक तालाब, एक एनिकट, तीन नाले और 25 कुए है पर सब में गर्मी में पानी सूख जाता है। गाँव के करीब 200 लोगों ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है जलस्तर नीचे चले जाने के कारण उनमें से कुछ में ही पानी है है। गाँव में 50 हैण्ड पम्प है लेकिन उनमें से 4 बंद है। सभी हैंडपंप में फ्लोराइड तथा आयरन पाया जाता है।	गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। नदी पर बाँध बनाया जा सकता है। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब में भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल

		करने की जरूरत है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल	आदिवासी परिवारों ने चक भूमि, बिला नाम भूमि, चरागाह भूमि पर वर्षों से कब्जा कर रखा है। उस पर उन्होंने मकान कुएं, बोर और समतलीकरण करके भूमि को खेती योग्य बनाया है। लेकिन फिर भी खातेदारी का हक उन्हें नहीं मिला है। इसके लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गांव का जंगल खत्म हो चुका है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से पानी रोकने खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो

		गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
जंगल	जंगल पर वन विभाग का कब्जा है। गांव में 155 हेक्टेयर जमीन पर जंगल है जिस पर परकोटा बना हुआ है। थोड़े बहुत चेक डैम बनाए गए हैं लेकिन फिर भी वन की हालत पहले से खराब है उनमें मात्र विलायती बबूल, कुछ सागवान के पेड़ और कटीली झाड़ियां है।	सामुदायिक वन दावा कर के वन को गांव सभा के अधीन लेना और वन को पुनर्जीवित करके गांव की आय बढ़ाना।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	**समस्याएं**	**सार्वजनिक / व्यक्तिगत**	**कारण**	**समाधान**	**तात्कालिक/ दीर्घकालिक**
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है।	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की	**तात्कालिक**

				जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है।	
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। विद्यालय में जो हैंडपंप है उसमें फ्लोराइड और आयरन पाया जाता है।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	**तात्कालिक**
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और	**तात्कालिक**

			है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नालों में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से उनका सारा पानी निकल जाता है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जंगल को विकसित करके लघु वनोपज भी लिया जा सकता है जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है।	
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक / व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबिज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे	**दीर्घकालिक**

			विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	
5	आवास/ शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	**व्यक्तिगत**	आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है। जिनका आवास निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता है। शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**
6	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

			संकट लगातार बढ़ रहा है।		

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। रास्ते के लिए गाँव वासियों द्वारा जगह नहीं देना और विवाद करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। रास्ते के लिए गाँव वासियों द्वारा जगह नहीं देने के विवाद सुलझाना।
जल नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव से निकलने वाले नाले पर एक एनीकट बना हुआ है। उस एनीकट में से भी पानी रिसकर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। नालों के पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। साथ ही साथ जल संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव।
आजीविका संवर्द्धन कृषिभूमि पशुपालन मछलीपालन	वन को गाँव सभा के अधिकार में लेने के प्रति उदासीनता। खेत समतलीकरण योजना को	लघु वन उपज, गौण खनिज, दूध व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी	खेती के लिए उन्नतशील बीज और सिंचाई के साधनों का अभाव। उन्नत नस्ल के पशुओ

	पंचायत से लेने के प्रति उदासीनता। चारागाह पर गाँव के लोगों का अवैध कब्जे के कारण चारे की कमी तथा चारागाह की खाली जमीन पर चारे के प्रबंधन के प्रति उदासीनता। पशुपालन के प्रति उदासीनता। सब्जी की खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था का अभाव। मछलीपालन न करना।	पालन और सब्जी की खेती की जा सकती है। गाँव के जंगल में फलदार और इमारती लकडियों का वृक्षारोपण कर के लघु वन उपज प्राप्त किया जा सकता है। खेत का समतलीकरण करके और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर के कृषि उपज बढाई जा सकती है। पशु पालन के लिए चारागाह की जमीन पर चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के दुधारू जानवरों की व्यवस्था। भेड़, बकरी और मुर्गी पालन। सब्जी की खेती	का अभाव। वन पर सामुदायिक दावा पत्र न मिलना। मछलीपालन करना।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को हराभरा करना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

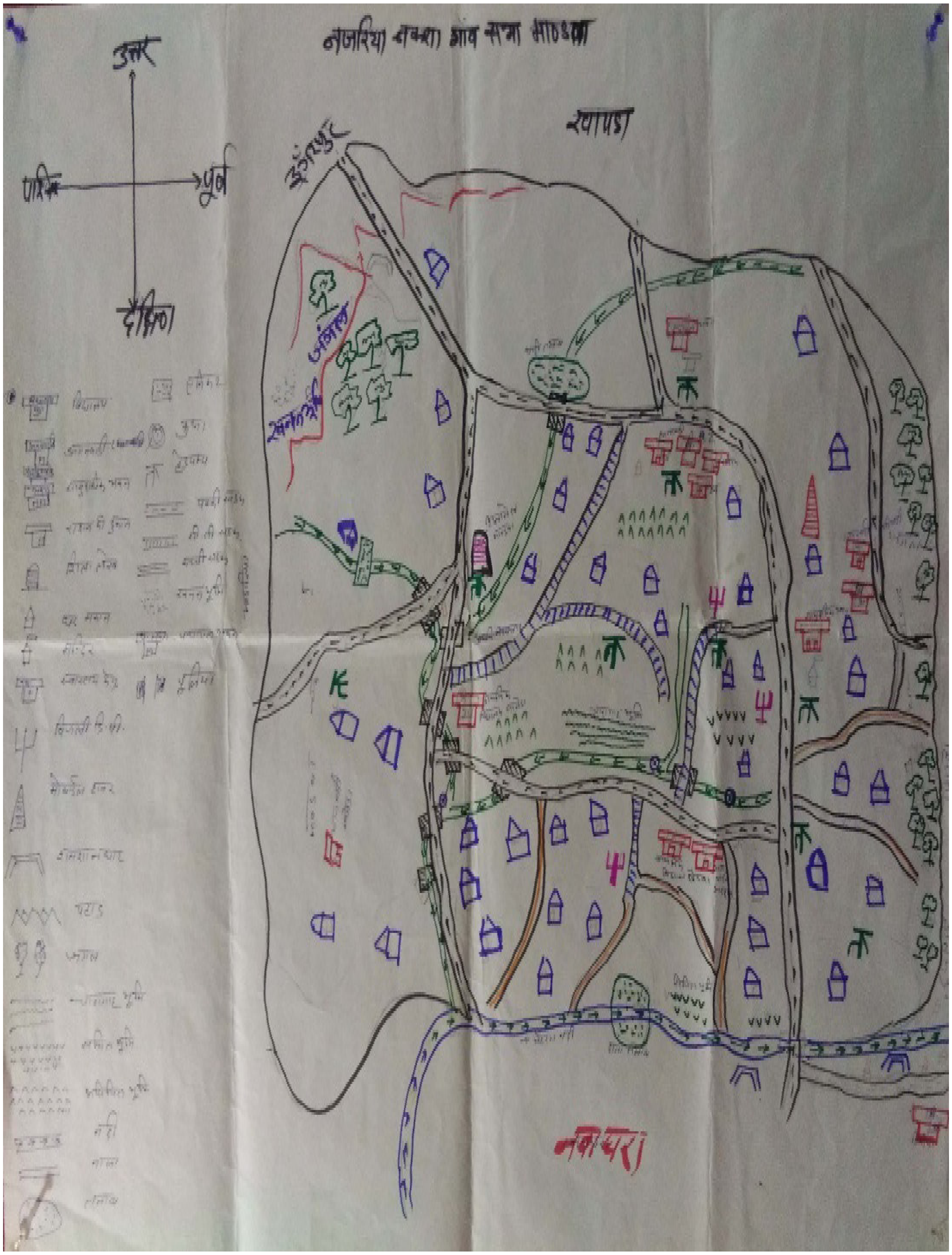

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन भुगतान बाकी	3
	वृद्धा पेंशन नए आवेदन	3
	विधवा पेंशन नया आवेदन	3
	विधवा पेंशन	1
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास निर्माण और भुगतान	
	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना - नया निर्माण आवेदन	22
	भुगतान बाकी - प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना	3
3	शौचालय निर्माण (बकाया भुगतान)	12
4.	रा.प्रा. विद्यालय सालेड़ा रा.प्रा. विद्यालय खैरवा रा.प्रा. विद्यालय राती घाटी में 3-3 अध्यापकों की नियुक्ति और 2-2 कमरों का निर्माण	1
5	आंगनवाड़ी भवन निर्माण - सालेड़ा फला में नई आंगनवाड़ी खोलना - भंवरिया फला में	2
6	रास्ता निर्माण 1. सतरा कटारा की दुकान वार्ड नंबर 4 से जीवा कमजी कटारा वार्ड नंबर 4 के घर तक कच्चा रास्ता 1500 मीटर 2. रिजवा वाली घाटी से रमेश/लक्ष्यी कटारा के घर से होते हुए तोरण वाली घाटी से होते हुए अंगार वाले रोड तक कच्चा रोड 500 मीटर	9

	3. अंगार वाली रोड से तोरण वाली घाटी तक सी.सी. सड़क 5 मीटर (वार्ड नंबर 4) 4. खाखरा वाली पुलिया से श्मशान घाट तक कच्ची सड़क 5. जीवा कमजी कटारा वार्ड नंबर 4 के घर थावरा/होजा वरहात वार्ड नंबर 4 के घर तक सी.सी. सड़क 1000 मीटर 6. आरादरी सड़क से रामलाल कटारा के घर तक कच्ची सड़क वार्ड नं. 9 7. माताजी मंदिर से सागवाड़ा जंगल तक का रास्ता 1500मीटर(डामर सड़क) 8. थावरा/हाजा वरहात वार्ड नंबर 4 के घर से थावरा/हांज़ा ननोमा के घर तक वार्ड नं. 4 9. खजूर वाली बावड़ी से ऊंची डूंगरी तक कच्चा रोड वार्ड नंबर 4	
7	कैटेगरी 4 के कार्य	41
8	कच्चा डेम निर्माण	31
	पक्का चेक डैम निर्माण	11
9	एनीकट निर्माण 1. चंदूलाल/डूंगर लाल कलासुआ 2. बंशी/गोमना कलासुआ 3. बदा/अर्जी कलासुआ 4. वीर जी/ रूपसी कलासुआ 5. बंसीलाल/वीर जी कलासुआ 6. राशि/मांगीलाल कलासुआ 7. नाथू/डूंगर कलासुआ	7
10	हैंडपंप मरम्मत 4	4
	नया हैंडपंप 8	8
11	वृक्षारोपण	7
12	R.O.प्लांट माताजी मंदिर के पास (454 परिवार) रिजा वाली घाटी खेरवा फला में (40 परिवार)	2
13	सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के संबंध में	1
14	सामाजिक कुरीतियों को रोकने के संबंध	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

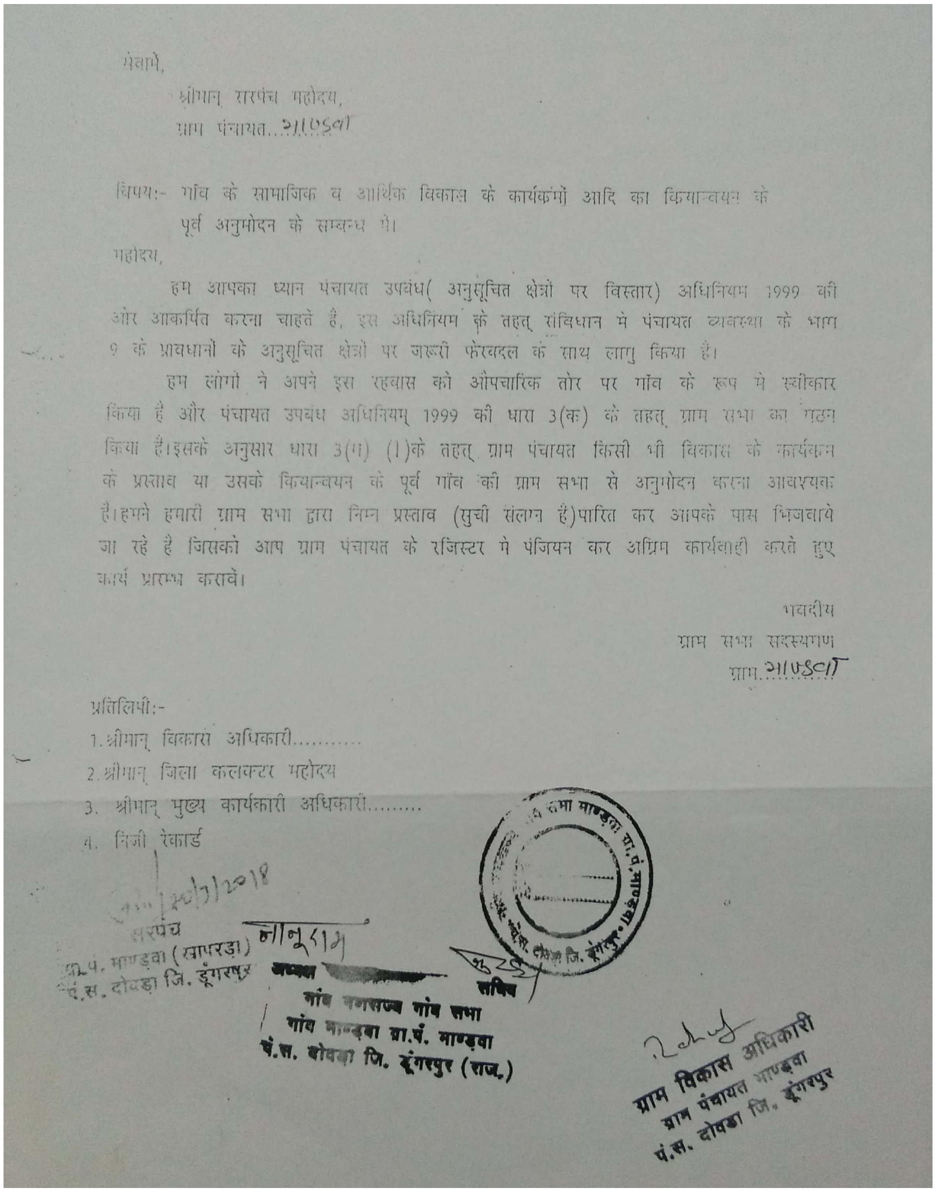

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत...माण्डवा

विषय:- गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गांव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम.माण्डवा

प्रतिलिपी:-

1.श्रीमान् विकास अधिकारी...........

2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........

4. निजी रेकार्ड

20/7/2018

सरपंच

ग्रा.प. माण्डवा (खापरड़ा)

पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

नानूराम

अध्यक्ष [redacted]

सचिव

गांव गणराज्य गांव सभा

गांव माण्डवा ग्रा.पं. माण्डवा

पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत माण्डवा

पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

प्रस्ताव कवरिंग

Kamal

राजस्थान सरकार पंचायती राज अधिनियम 1999, नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 5-7-2018 को माण्डवा गाँव की ग्राम सभा की बैठक सार्वजनिक स्थान मंदिर माण्डवा पर आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री भगवान कलाकुर ने की। जिनकी अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही की गयी। बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

1 पेन्शन के सम्बन्ध में
अ- वृद्धा पेन्शन
ब विधवा
स विकलांग
द एकल नारी
य पालनहार
2- पी एम आवास के सम्बन्ध
3 शौचालय बकाया भुगतान व नया निर्माण के सम्बन्ध
4- विद्यालय के सम्बन्ध में
5- आंगनवाड़ी सालेड़ा कला में भवन निर्माण
6- धारा तालाब और दाता तालाब का गहरीकरण व मरम्मत
7- रास्ता निर्माण
8- खेत समतलीकरण, मेड़बन्दी, कुँआ मरम्मत, कुँआ निर्माण, पशुवाड़ा निर्माण
9- चेकडैम मरम्मत व निर्माण
10- एनीकट नया निर्माण
11 हैण्डपम्प मरम्मत तथा नया हैण्डपम्प लगाना
12- वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
13- आर ओ प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में
14 सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के सम्बन्ध में
15 व्यक्तिगत दावा काबिज भूमि का
16 सामाजिक कुरीतियों को रोकने के सम्बन्ध में
17- विद्युतीकरण

प्रस्ताव प्रथम पेज

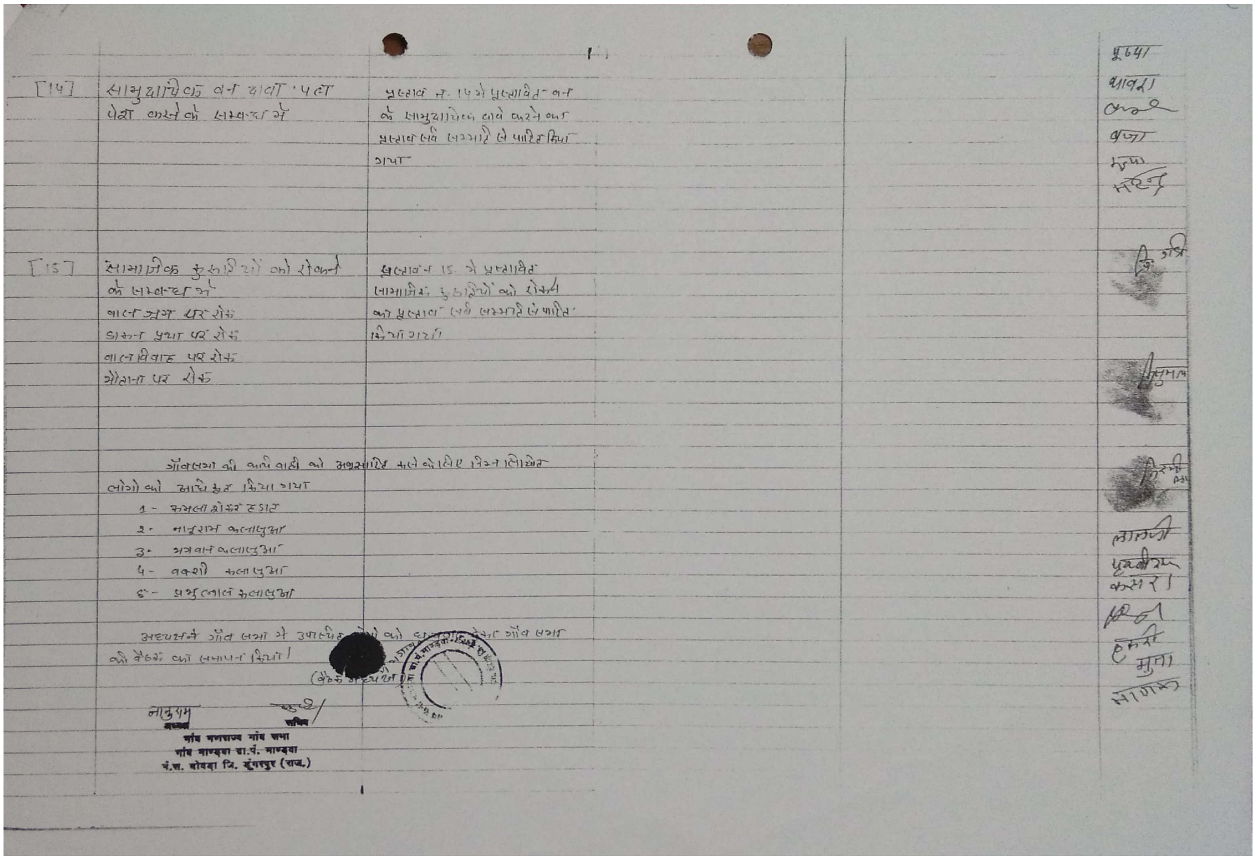

[14] सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के सम्बन्ध में — प्रस्ताव न. 14 मे प्रस्तावित वन के सामुदायिक दावे करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया

[15] सामाजिक कुरीतियों को रोकने के सम्बन्ध में
बाल श्रम पर रोक
डाकन प्रथा पर रोक
बाल विवाह पर रोक
मौताना पर रोक
— प्रस्ताव न 15 मे प्रस्तावित सामाजिक कुरीतियों को रोकने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

गॉवसभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगो को अधिकृत किया गया
1- कमलाशंकर हडात
2- नानूराम कलासुआ
3- भगवान कलासुआ
4- वकसी कलासुआ
5- प्रभुलाल कलासुआ

अध्यक्ष ने गॉव सभा मे उपस्थित लोगो को धन्यवाद देकर गॉव सभा की बैठक का समापन किया।

(बैठक अध्यक्ष)

नानुराम — अध्यक्ष
सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
गांव माण्डवा ग्रा.पं. माण्डवा
पं.स. बोयडा जि. डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव अंतिम पेज

खापरडा जाने का रास्ता

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

क्र.	नाम	सम्पर्क नं.
1.	कमलाशंकर हड़ात	9799774179
2.	नाथी कलासुआ	9928194204
3.	शारदा बरंडा	6367701673
4.	नानुराम कलासुआ	